

संकुल सन्दर्भ केन्द्र ग्रांट (CRC Grant) दिशा निर्देश 2020-21

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2020-21 में संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) के कार्य संचालन बाबत संकुल सन्दर्भ केन्द्र ग्रांट (CRC Grant) का प्रावधान किया गया है। सीआरसी, समग्र शिक्षा के तहत संचालित समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/आदर्श विद्यालय/सीआरसी/2019-20/05 दिनांक 04.06.2020 के द्वारा सत्र में ग्रामीण क्षेत्र के 9894 पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र के 365 सीआरसी कुल 10259 सीआरसी बनाये गये हैं। आदेशानुसार सीआरसी अपने अधीनस्थ विद्यालयों में शैक्षिक व सह-शैक्षिक, भौतिक गतिविधियों के संचालन हेतु कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन व मॉनीटरिंग करेंगे। साथ ही विद्यालय में नामांकन वृद्धि व ठहराव हेतु कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करेंगे।

पीएबी 2020-21 में 10259 सीआरसी के लिये प्रति सीआरसी 28,000 रुपये की गणना से कुल 3294.190 लाख रुपये का उपयोग किया जाना है। जिलेवार स्वीकृत राशि विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

A) सीआरसी ग्रांट के उपयोग (व्यय) हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्न प्रकार है -

- कन्टेन्जेन्सी ग्रांट** से समग्र शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष, शाला दर्पण फीडिंग, आरटीई पोर्टल, शाला सिद्धि तथा छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च इत्यादि का व्यय शामिल है। इन व्ययों का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान की रोकड बही में इन्द्राज किया जायेगा तथा सामग्री क्रय करने पर स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जावेगी।
- मीटिंग, टी.ए ग्रांट्स** द्वारा विभिन्न शैक्षिक नवाचारों पर चर्चा करने, टीएलएम निर्माण कार्यशाला आयोजित करने, परिषद द्वारा संचालित गतिविधियों की क्रियान्विति हेतु योजना बनाने, समीक्षा करने एवं सूचना प्राप्त करने के लिये सीआरसी विद्यालय पर आयोजित की जाने वाली बैठक में उपस्थित होने वाले समस्त शैक्षिक कार्मिकों को अल्पाहार प्रदान किया जायेगा व अधीनस्थ विद्यालयों के शैक्षिक कार्मिकों को राजकीय नियमानुसार टी.ए. दिया जायेगा।
- टीएलएम ग्रांट** से सीआरसी विद्यालय एवं अधीनस्थ विद्यालयों के विज्ञान, गणित व सामाजिक ज्ञान विषय के शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिये विषय को समझने में उपयोगी टीएलएम का निर्माण किये जाने के लिये प्रेरित किया जाकर सीआरसी स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर इन विषयों के लिये शिक्षण सहायक सामग्री (टीएलएम) का निर्माण शिक्षकों द्वारा किया जायेगा। इस टीएलएम का उपयोग कक्षागत शैक्षिक गतिविधियों में किया जायेगा।
- मोबिलिटी सपोर्ट ग्रांट** का उपयोग सीआरसी विद्यालय के संस्था-प्रधान अपने अधीनस्थ विद्यालयों का अवलोकन करने हेतु की जाने वाली यात्रा के व्यय का समायोजन वित्त विभाग के यात्रा नियमानुसार करेंगे। विभाग द्वारा निर्धारित संख्यानुसार अधीनस्थ विद्यालयों का अवलोकन किया जायेगा। अधीनस्थ विद्यालयों की मॉनीटरिंग / समीक्षा के दौरान किये जाने वाले कार्य - कक्षाओं के अवलोकन के समय विद्यार्थी आकलन रिपोर्ट तैयार करना। मीड-डे मिल की मासिक समीक्षा व गुणवत्ता सुनिश्चित करना। प्रतिमाह अधीनस्थ राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों की बैठक आयोजित कर शैक्षिक गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा करना। एसएमएसी की बैठक आयोजन की स्थिति की समीक्षा/ मानीटरिंग करना। सत्र समाप्ति पश्चात आगामी सत्र हेतु कार्ययोजना बनवाकर क्रियान्वयन करना।

विशेष - कोविड-19 को ध्यान में रखते हुये भारत, राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

B) उपयोग (व्यय) हेतु सामान्य निर्देश -

1. सीआरसी ग्रांट्स की राशि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को हस्तान्तरित की जायेगी तत्पश्चात सीबीईओ द्वारा प्रत्येक पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) एवं शहरी सीआरसी को प्रावधानानुसार राशि हस्तान्तरित की जायेगी।
2. परिषद् कार्यालय से राशि प्राप्त होने के पश्चात जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा राशि हस्तान्तरण की कार्यवाही को प्राथमिकता से पूरा किया जायेगा।
3. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी।
4. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये।
5. राज्य सरकार द्वारा सीआरसी के पुनर्गठन/नवीनीकरण के पश्चात प्राप्त अद्यतन सीआरसी की संख्या के अनुपात में गणना कर राशि हस्तान्तरण की कार्यवाही परिषद् कार्यालय द्वारा की जायेगी।
6. राशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
7. राशि का उपयोग गतिविधि व एमएचआरडी के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
8. क्रय की जाने वाली सामग्री में "राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013" की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

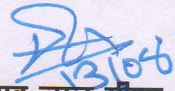
C) मॉनीटरिंग -

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी; संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान राशि (CRC Grant) एवं दिशा निर्देश 2020-21 समस्त सीआरसी कार्यालयों को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनीटरिंग योजनाबद्ध रूप से करें।
2. जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों द्वारा राशि हस्तान्तरण एवं राशि उपयोग की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जायेगी।

D) उपयोगिता प्रमाण पत्र -

1. सीबीईओ कार्यालय प्रपत्र-1 में राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रपत्र-2 में जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित करेंगे एवं जिला कार्यालय द्वारा प्रपत्र-3 में परिषद् मुख्यालय को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

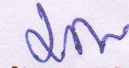

(बाबू लाल मीणा)

राज्य परियोजना निदेशक एवं
आयुक्त

क्रमांक: रास्कृशिप/जय/AS&FE/2020-21/ 13715
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

दिनांक: 14/8/2020

- 1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा व भाषा विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
- 2- निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
- 3- निजी सहायक, निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राज0, बीकानेर।
- 4- निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (I) एवं (II), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
- 5- नियंत्रक वित्त, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद् कार्यालय, जयपुर।
- 6- समस्त उपायुक्त, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद् कार्यालय, जयपुर।
- 7- समस्त उपनिदेशक / सहायक निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद् कार्यालय, जयपुर।
- 8- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
- 9- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
- 10- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
- 11- रक्षित प्रति।


अति0 राज्य परियोजना निदेशक-द्वितीय

प्रपत्र -1

ब्लॉक

जिला

संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) का नाम

संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) अनुदान उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2020-21 में प्राप्त संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) राशि रु. का उपयोग एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा कर लिया गया है। उपयोग की गई राशि..... है एवं शेष राशिव पूर्व अवशेष राशि रु0 कुल राशि रु0 बची थी जिसे चालान/चैक/डिमांड ड्रॉफ्ट संख्या..... दिनांक द्वारा समर्पित कर दिया गया है / जमा करा दिया है, इसका आगामी वर्ष में देय सहायता अनुदान में समायोजित कर लिया जायेगा।

क. सं.	माह का नाम	आवंटित राशि				खर्च की गई राशि				शेष राशि			
		कन्टेन्जेन्सी ग्रांट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट	कन्टेन्जेन्सी ग्रांट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट	कन्टेन्जेन्सी ग्रांट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट

हस्ताक्षर
प्रभारी सीआरसी

.....

प्रपत्र -2

कार्यालय ब्लॉक

जिला

ब्लॉक स्तरीय संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) अनुदान उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि CRC को सत्र 2020-21 में कन्टेन्जेन्सी, मीटिंग टी.ए., टीएलएम, मोबिलिटी सपोर्ट हेतु प्राप्त राशि रु. का उपयोग परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार किया जाकर कैश बुक के पृष्ठ संख्या पर इन्द्राज कर लिया है। ब्लॉक कार्यालय को प्राप्त कुल राशि में से व्यय की गई राशि पश्चात राशि बचत के रूप में शेष है।

क. सं.	माह का नाम	आवंटित राशि				खर्च की गई राशि				शेष राशि			
		कन्टेन्जेन्सी ग्रांट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट	कन्टेन्जेन्सी ग्रांट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट	कन्टेन्जेन्सी ग्रांट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट

हस्ताक्षर
बीआरसी प्रभारी/ CBEO

.....

www.rajteachers.com

प्रपत्र -3

जिला

जिला स्तरीय उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2020-21 में संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान मद में प्राप्त राशि रुपये में से जिले की कुल सीआरसी को राशि जारी की गई एवं परिषद् के दिशा निर्देशानुसार व्यय की जाकर राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या पर समायोजन किया जा चुका है। जिले को प्राप्त कुल राशि में से ब्लॉक कार्यालयों द्वारा व्यय की गई राशि पश्चात राशि बचत के रूप में शेष है।

उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा MPR में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर

सहायक परियोजना समन्वयक/ प्रभारी

.....

हस्ताक्षर

सहायक लेखाधिकारी

.....

हस्ताक्षर

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

.....

हस्ताक्षर

जिला परियोजना समन्वयक

.....

www.rajteachers.com

CRCs Grant for 2020-21

S.No.	District	Contingency Grant @ 0.20 (Rs. in lacs)		Meeting, TA @0.05 (Rs. in lacs)		TLM @0.02 (Rs. in lacs)		Mobility Support @0.01 (Rs. in lacs)		Total Financial
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	
1	AJMER	303	60.600	303	15.150	303	6.060	1332	13.320	95.130
2	ALWAR	527	105.400	527	26.350	527	10.540	2048	20.480	162.770
3	BANSWARA	350	70.000	350	17.500	350	7.000	2705	27.050	121.550
4	BARAN	227	45.400	227	11.350	227	4.540	1283	12.830	74.120
5	BARMER	494	98.800	494	24.700	494	9.880	4015	40.150	173.530
6	BHARATPUR	388	77.600	388	19.400	388	7.760	1177	11.770	116.530
7	BHILWARA	399	79.800	399	19.950	399	7.980	2300	23.000	130.730
8	BIKANER	303	60.600	303	15.150	303	6.060	1547	15.470	97.280
9	BUNDI	193	38.600	193	9.650	193	3.860	970	9.700	61.810
10	CHITTORGARH	299	59.800	299	14.950	299	5.980	1407	14.070	94.800
11	CHURU	268	53.600	268	13.400	268	5.360	896	8.960	81.320
12	DAUSA	239	47.800	239	11.950	239	4.780	1160	11.600	76.130
13	DHOLPUR	176	35.200	176	8.800	176	3.520	835	8.350	55.870
14	DUNGARPUR	296	59.200	296	14.800	296	5.920	2271	22.710	102.630
15	GANGANAGAR	348	69.600	348	17.400	348	6.960	1449	14.490	108.450
16	HANUMANGARH	260	52.000	260	13.000	260	5.200	718	7.180	77.380
17	JAIPUR	583	116.600	583	29.150	583	11.660	2745	27.450	184.860
18	JAISALMER	144	28.800	144	7.200	144	2.880	994	9.940	48.820
19	JALORE	280	56.000	280	14.000	280	5.600	1496	14.960	90.560
20	JHALAWAR	259	51.800	259	12.950	259	5.180	1365	13.650	83.580
21	JHUNJHUNU	313	62.600	313	15.650	313	6.260	1017	10.170	94.680
22	JODHPUR	488	97.600	488	24.400	488	9.760	2776	27.760	159.520
23	KARAULI	233	46.600	233	11.650	233	4.660	1055	10.550	73.460
24	KOTA	175	35.000	175	8.750	175	3.500	772	7.720	54.970
25	NAGOUR	479	95.800	479	23.950	479	9.580	2246	22.460	151.790
26	PALI	335	67.000	335	16.750	335	6.700	1331	13.310	103.760
27	PRATAPGARH	168	33.600	168	8.400	168	3.360	1508	15.080	60.440
28	RAJSAMAND	213	42.600	213	10.650	213	4.260	1392	13.920	71.430
29	S.MADHOPUR	203	40.600	203	10.150	203	4.060	761	7.610	62.420
30	SIKAR	353	70.600	353	17.650	353	7.060	1326	13.260	108.570
31	SIROHI	168	33.600	168	8.400	168	3.360	766	7.660	53.020
32	TONK	239	47.800	239	11.950	239	4.780	1114	11.140	75.670
33	UDAIPUR	556	111.200	556	27.800	556	11.120	3649	36.490	186.610
TOTAL		10259	2051.800	10259	512.950	10259	205.180	52426	524.260	3294.190

www.rajteachers.com